संख्या-11/2022/61/12-5-2022/सा0-01/2019

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश,

2- कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः: दिनांक 09 मार्च , 2022

विषयः- पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-44/2021/842/12-5-2021/सा0-01/2019, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से ओपेन सोर्स से प्राप्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सत्यापन के संबंध में कतिपय जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि परिवार (जिसमें पति, पत्नी व अवयस्क बच्चे) के एक सदस्य जो परिवार का मुखिया है, को पी0एम0 किसान योजना का लाभ मिल सकता है। अत: नए आवेदन पत्रों के सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि योजना का लाभ परिवार के अन्य सदस्यों को न मिल रहा हो। तत्क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि नए लाभार्थियों का सत्यापन करते समय लाभार्थियों के स्वघोषणा पत्र के साथ यह भी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि "आवेदक के परिवार के अन्य किसी सदस्य को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।" सत्यापन करने वाले कर्मचारी द्वारा उक्त कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in